कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,मुजफ्फरनगर

पत्रांकः /मान्यता/ 11881-86 /2018–19 तारीख– 24-12-18

प्रबन्धक,

ग्लोबल पब्लिक स्कूल, अरनायच
विकास खण्ड –चरथावल
जनपद– मुजफ्फरनगर।

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2018 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में, मैं **ग्लोबल पब्लिक स्कूल, अरनायच विकास खण्ड चरथावल जनपद–मुजफ्फरनगर** को दिनांक 21.12.2018 से दिनांक 20.12.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये **कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक** (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किया जाने के अध्यधीन हैं:–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही हैं और उसमें किसी भी रुप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही हैं।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम,2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010 (उपबन्ध–2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्रथामिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4–पैरा तीन से निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा।

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन, विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और।

VIII. अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेगें।

7–विद्यालय सुमिचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गयी प्रसुविधाएं निम्नुसार हैः–

➢	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	8200 वर्ग मी0
➢	कुल निर्मित क्षेत्र	693 वर्ग मी0
➢	कीडा स्थल का क्षेत्रफल	7507 वर्ग मी0
➢	कक्षाओं की संख्या	14 कक्ष
➢	प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष	है।
➢	बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है।
➢	पेयजल सुविधा	है।
➢	मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई	–
➢	बाधारहित पहुँच	है।
➢	अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	है।

9– विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता हैं।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम्, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **MZN-E 07/2018** है। कृपया इसे नोट कर लें ओर इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो ओर समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17– विद्यालय के उपलब्ध स्थान के कक्षा–कक्षों में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट तक की सीमा तक ही प्रवेश सुनिश्चित करें।

18– संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

पृ0सं0/मान्यता/ /2018–19 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सेवा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– शिक्षा निदेशक (बेसिक), निशांत गंज, लखनऊ।

2– अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), इलाहाबाद।

3– सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

4– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

5– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।

6– कार्यालय पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

Goverment order Date - 8.05.2013 Sankhiya 418/79-6-2013-188 [7]/89. The school Pratham Darstya refresh praroop reconigation to condition also temprary three years in any confisicen and adivisor give any time meaning to Pravdhan Darastigat in provision niyama Manager in under. Principal and not congtive so not condition to are not renival the school all time permanent reconigation nursery to 8th class.

19.4.25

खण्ड शिक्षा अधिकारी
चरथावल, मु0नग